राजस्थान सरकार

<u>निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर</u>

क्रमांकः– एफ.2 (क) (सी–77) अलेसे– I / 556 दिनांकः– 6/11/19

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश संख्या 351 / 2018–19 दिनांक 25.02.2019 द्वारा श्री चुन्नीलाल सांखला, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– I (लिंक नं0 979) का स्थानान्तरण जिला आयुर्वेद अधिकारी, चुरू में किया गया था, तत्पश्चात् विभागीय शुद्वि पत्र कमांक 2623 दिनांक 01.03.2019 द्वारा श्री चुन्नीलाल सांखला, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– I का स्थानान्तरण कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), चूरू (नवसृजित पद सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– I) में किया गया था, जिसकी पालना में इनके द्वारा दिनांक 06.03.2019 को नवपदस्थापन कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया था, परन्तु कार्मिक श्री रामकिशन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– I ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 7946 / 2019 दायर करने पर माननीय उच्च न्यायालय ने विभागीय पत्र कमांक 125 दिनांक 28.05.2019 में प्रदत्त निर्देशों की कियान्विती पर स्थगन आदेश पारित किया गया, जिसके कारण श्री सांखला द्वारा माह जुलाई, 2019 से अक्टूम्बर, 2019 तक की अवधि का वेतन आहरित नहीं किया जा सका है।

अतः श्री चुन्नीलाल सांखला, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– I को माह जुलाई, 2019 से अक्टूम्बर, 2019 तक का वेतन कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, बीकानेर से सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– I के रिक्त पद के विरूद्ध आहरित करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.2 (क) (सी–77) अलेसे– I/556 दिनांकः– 6/11/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि श्री चुन्नीलाल सांखला, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड– I के उक्त अवधि के वेतन आहरण की व्यवस्था करावें।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), चूरू।
3. श्री चुन्नीलाल सांखला, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड–I, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), चूरू।
4. उपनिदेशक(एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. निजी पत्रावली।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)